

क्रमांक:

259.

दिनांक: 16-5-2015

प्रेषक: वन मंडल अधिकारी  
अम्बाला ।

सेवा में: वन संरक्षक उत्तरी परि०  
हरियाणा, पंचकूला ।

**विषय: Diversion of 0.0628 Ha. of Forest land for Existing Retail outlet at Shahzadpur-Naraingarh Road, NH-72, KM Stone 28.7 RHS, Village Banondi, Distt. Ambala (Haryana).**

उपरोक्त विषय के बारे में आपको सूचित किया जाता है कि Sr. Div. Retail Sales Manger, Indian Oil Corporation Ltd (MD) Panipat द्वारा Shahzadpur-Naraingarh Road, NH-72, KM Stone 28.7 RHS, Village Banondi, Distt. Ambala (Haryana) में पेट्रोल पम्प लगा हुआ है जिसके रास्ते में वन विभाग की 0.0628 है० वन भूमि उपयोग होगी है तथा इसमें 5 पेड़ बाधक है।

प्रतिपूर्ति पौधारोपण 68468/-रु० तथा एन०पी०वी० 55705/-रु० तथा फैलिंग चार्जिज 10735/-रु० कुल 134907/-रुपये की राशि प्रयोक्ता एजैन्सी से प्राप्त की जाएगी। प्राप्त राशि से झारसेहला पी०एफ० में पौधारोपण करवाया जाएगा। इस प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम की उल्लंघना नहीं है।

अतः प्रयोक्त एजैन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत दिए गए प्रपत्रों, अन्य आवश्यक प्रपत्रों व प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम इत्यादी की 4-4 प्रतियां आगामी कार्यवाही हेतु सलंगन प्रेषित है।

सलंगन/उपरोक्त।

वन मण्डल अधिकारी,  
अम्बाला वन मण्डल,  
अम्बाला।

पृ० क्रमांक:-

260-61.

दिनांक:- 16-5-2015

एक प्रति निम्न को:-

- 1 Sr. Div. Retail Sales Manger, Indian Oil Corporation Ltd (MD) Panipat को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 2 वन राजिक अधिकारी, नारायणगढ़ को उनके पत्र क्र० 719 दि० 26.03.2015 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

वन मण्डल अधिकारी,  
अम्बाला वन मण्डल,  
अम्बाला।